# झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

पत्रांक :–1/पी०एम०सी०/कार्य–508/2007 पार्ट–I– .................. /राँची, दिनांक ...........

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **गढ़वा जिलान्तर्गत फुलवरिया सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु रू० 911.622 लाख (रू० नौ करोड़ ग्यारह लाख बासठ हजार दो सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**आदेश–स्वीकृत।**

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत मेराल प्रखण्ड में उत्तर कोयल नदी की सहायक फुलवरिया नदी पर ग्राम अटौला के पास निर्मित फुलवरिया सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु रू० 911.622 लाख (रू० नौ करोड़ ग्यारह लाख बासठ हजार दो सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस कार्य के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराया जायेगा :–

(i) फुलवरिया बांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.011 से 3.221 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।

(ii) फुलवरिया दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.011 से 4.361 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।

(iii) फुलवरिया सिंचाई योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाऐं यथा रेगुलेटर, सी०डी० संरचना, आउटलेट एवं इनलेट तथा सेतु का निर्माण/मरम्मति कार्य।

(iv) योजना के अर्न्तगत Village Channal का पुनर्स्थापन कार्य।

4. कार्य कराने के पश्चात् योजना का रूपांकित सिंचाई क्षमता 600 हे० में सिंचाई हो पायेगा।

5. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारंभ कर अगले एक वर्ष में वर्ष 2018–19 तक पूर्ण कराया जायगा।

6. इस योजना का कार्यान्वयन जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा द्वारा कराया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, गढ़वा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इस योजना पर होने वाला व्यय –

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

9. इस कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

10. कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

11. उक्त कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. इस कार्य के लिए राशि की निकासी गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15 प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

16. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

**(मुक्तिसाधन चौरसिया)**

सरकार के उप सचिव (अभि०)

**ज्ञापांकः–1 / पी०एम०सी० / कार्य–508 / 2007 पार्ट–I– .................. / राँची, दिनांक ...........**

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु / योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

**(मुक्तिसाधन चौरसिया)**

सरकार के उप सचिव (अभि०)

**ज्ञापांकः–1 / पी०एम०सी० / कार्य–508 / 2007 पार्ट–I– .................. / राँची, दिनांक ...........**

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

**(मुक्तिसाधन चौरसिया)**

सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांकः—1/पी०एम०सी०/कार्य—508/2007 पार्ट—I— 26/17-18 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 21.07.2017

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया) 21/7/17
सरकार के उप सचिव (अभि०)
21/07/17